श्री अरुण जेटली: मैडम, जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया था कि इन्द्रजीत गुप्त कमेटी का जो सुझाव है उसके तहत किसी उम्मीदवार को पैसा मिलने वाला नहीं है।

श्री लछमन सिंह: तब तो कोई फायदा नहीं है। .....(**व्यवधान**).....

श्री अरुण जेटली: किसी उम्मीदवार को पैसा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन लोगों को पैसे के स्थान पर चुनाव के अंदर जिस सामग्री का प्रयोग होता है उसको दीजिए। आप डीजल के कूपन्स दीजिए, पेपर का कोटा दीजिए, पोस्टल स्टैम्पस् दीजिए, इलेक्टोरल की फ्री कापीज दीजिए, तो प्रश्न यह उठता है। लेकिन माननीय सदस्य ने इसे इस रूप में नहीं लिया है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसके अतिरिक्त जो उम्मीदवार का खर्चा होगा क्या उसके ऊपर रोक लग पाएगी। उसकी सीमा बंधी हुई है। उसकी फंडिंग किस प्रकार से होगी, इस बारे में सुझाव आए हैं और विशेषरूप से माननीय सदस्य के दल ने जो सुझाव रखे हैं उन सुझावों पर भी सरकार विचार कर रही है कि उनकी फंडिंग किस प्रकार से होगी। इससे अधिक अगर कोई खर्च करता है, जिसका जिक्र आपने किया है तो कानून की दृष्टि से उनको इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए इस व्यवस्था में इसकी अनुमति दी जाए या इसको मान्यता दी जाए, यह संभव नहीं होगा।

उपसभापति: जिन बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया उन बातों का आप आंसर नहीं दे सकते।

*105. [The questioner (Shri Kripal Parmar) was absent. For answer, vide page 26 *infra.]*

*106. [The questioners (Shri Santosh Bagrodia and Shri Prakanta Warisa) were absent. For answer, vide page 27-28 *infra.*]

*107. [The questioner (Shri Satish Pradhan) was absent. For answer, vide page 29 *infra.*]

*108. [The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent. For answer, vide page 29 *infra.*]

Vacancies in Prasar Bharati Board

*109. SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the procedure for filling-up of the vacancies and reconstitution of the Prasar Bharati Board;

(b) the criteria for the selection of Chairman and Members of the Board;

(c) whether there is a search panel to do the scouting of talent for the selection board; and

(d) why should it take more than a year to fill in vacancies as has happened of late?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) In accordance with the provisions of the Prasar Bharti (Broadcasting Corporation of India Act, 1990), the Chairman and the other Members, except the *ex-officio* Members, the Nominated Member and the elected Members, shall be appointed by the President of India on the recommendation of a committee consisting of—

(a) the Chairman of the Council of States, who shall be the Chairman of the Committee;

(b) the Chairman of the Press Council of India established under section 4 of the Press Council Act, 1978; and

(c) one nominee of the President of India.

The Chairman and the Part-time Members shall be persons of eminence in public life; the Executive Member shall be a person having special knowledge or practical experience in respect of such matters as administration, management, broadcasting, education, literature, culture, arts, music, dramatics or journalism; the Member (Finance) shall be a person having special knowledge or practical experience in respect of financial matters and the Member (Personnel) shall be a person having special knowledge or practical experience in respect of personnel management and administration.

One representative of the Union Ministry of Information and Broadcasting will be nominated by the Ministry.

Two Member will be the representatives of the employees of the Corporation, of whom one shall be elected by the engineering staff from amongst themselves and one shall be elected by the other employees from amongst themselves.

There is no provision in the Act for a Search Panel to assist the Selection Committee.

(d) The Selection Committee is not bound by the Act to give its recommendation within a specified time frame.

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Madam, in para 2 of the answer it is stated that the Chairman and the Part-time Members shall be persons of eminence

in public life. Is that all or they too will be required to be acquainted with administration. Management, broadcasting, education, literature, etc., etc.?

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, जब हम कहते हैं कि पीपुलस एमीनेंस इन पब्लिक लाइफ तो इसके मायने है कि वह किसी न कि फील्ड में कोई न कोई प्रतिभा रखते होंगे तभी वह प्रतिभावान या एमीनेंट व्यक्ति कहलायेंगे।

SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Madam, in para 2, page 2 it is stated that there is no provision in the Act for a Search panel to assist the Selection Committee? How on earth will the Members of the Committee decide upon the persons to be nominated as the Chairman or the Members?

श्रीमती सुषमा स्वराज: प्रश्न यह था कि क्या ऐक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान है। ऐक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई सर्च पैनल बनाया जाए। क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं इस कमेटी का कंपोजिशन क्या है, यह बहुत ही हाई पावर कमेटी है। स्वयं राज्य सभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, सभापति हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति भी होते हैं वे इसके अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन, प्रेस कौंसिल इसके मेंबर होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नामीनेट मेंबर इसमें होता है। वह जैसा भी तरीका बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर वे स्वयं में कोई इन्फार्मेशन पूल करना चाहें, किसी से पूछना चाहें, कोई सर्च पैनल बनाना चाहें, वह करें, यह सब चीजें उन पर छोड़ी गई हैं। मेरा जवाब यह है कि एक्ट में किसी सर्च पैनल का प्रावधान नहीं रखा गया है।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Madam, as far as the Rajya Sabha is concerned, we are having good directors, good heroes, heroines, villains, comedians and playback singers. So, we produce a good film for the Rajya Sabha. My humble submission is, whether any Member from the Rajya Sabha has been included in the Prasar Bharti Board. If not, I think, the hon. Minister should include one of the Members from the Rajya Sabha in the Board. This point may kindly be clarified.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि यह प्रसार भारती बोर्ड के बारे में सवाल है बल्कि एक्ट में यह प्रावधान है कि जिन लोगों का अपना इंटरेस्ट टकराता है यानी जिनका अपना कोई इंटेरेस्ट रहता है कोई फिल्म बनाने में, कोई सीरियल बनाने में, वह लोग बोर्ड के मैम्बर नहीं हो सकते। इसलिए जैसे कि माननीय सदस्य ने कहा कि राज्य सभा प्रतिभाओं से भरी हुई है, यहां फिल्मकार हैं, अदाकार हैं, टी.वी. सीरियल बनाने वाले हैं, कलाकार हैं वह लोग तो मैम्बर आफ दी बोर्ड हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रसार भारती एक्ट में लिखा गया है कि जिन लोगों का अपना कोई हित टकराता है, वह लोग इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: At least, produce a film by taking into consideration the talent that we have in the Rajya Sabha.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should make this proposal to the hon. Chairman.

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: I am making this proposal to the hon. Minister.

श्रीमती सुषमा स्वराज: अगर आप इनके प्रोपोजल को अपनी अनुशंसा से या चेयरमैन साहब की अनुशंसा से भेजते हैं तो जरूर कहूंगी कि इस को देखें और विचार करें।

उपसभापति: क्योंकि चेयरमैन साहब खुद उसके चेयरमैन हैं, इसलिए यह आऊट आफ क्वेश्चन है।

DR. C. NARAYANA REDDY: Madam, I would like to put a straight and simple question to the learned and eloquent hon. Minister. For a long time, there was no Chairman of the Prasar Bharti. I would like to know, during this period, who looked after the important policy matters. Was it bureaucrats? If so, is it fair to leave the matters entirely to the bureaucrats?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, पहले तो मैं यह बता दूं कि अब चेयरमैन हैं। 10 अक्तूबर को उनकी नियुक्ति हो गई है।

डा० सी० नारायण रेड्डी: अब नहीं गुज़िश्ता।

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैं बता रही हूं। प्रो० यू०आर० राव जो पहले से मैम्बर चले आ रहे थे, उनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। लेकिन यह कहना कि जब चेयरमैन नहीं होते तो कौन करता है, उस समय भी बोर्ड का कलेक्टिव डिसिजन होता है और उस बोर्ड में केवल ब्यूरोक्रेट्स नहीं थे, उस समय भी पहले चार मैम्बर थे। उसके बाद तीन मैम्बर रह गये। लेकिन कोई एक ऐसा समय नहीं आया जब दो मैम्बर से कम रहे हों। इसमें नॉन आफिशियल मैम्बर हर समय रहे हैं। जब चेयरमैन नहीं होते तो पूरे का पूरा बोर्ड सामूहिक निर्णय करता है। कोई एक ब्यूरोक्रेट डिसिज़न नहीं करता है।

SHRI KULDIP NAYYAR: Is it a fact that one Member of the Prasar Bharti Board was appointed by the Government of India, the Advisor to the Defence Ministry.

श्रीमती सुषमा स्वराज: जी हां। गवर्नमेंट आफ इण्डिया से बी०जी० वर्गीज जो प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य थे जब रक्षा मंत्री ने उनको अपना एडवाइजर नियुक्त करना चाहा तो यह एडवाइज़र बन कर गये। कोई किसी भी तरह का बार, किसी तरह की पाबंदी नहीं है कि प्रसार भारती बोर्ड का मैम्बर एडवाइजर नहीं हो सकता क्योंकि यह मैम्बरशिप पार्ट टाइम मैम्बरशिप है। आज के दिन जो नए मैम्बर लगाये जा सकते हैं वह भी कोई व्यक्ति पार्ट-टाइम मैम्बर लग सकता है उस पर कोई पाबन्दी नहीं होती, डिस्क्वालीफिकेशन नहीं होती है कि प्रसार भारती बोर्ड का मैम्बर कहीं एडवाइज़र बन कर नहीं जा सकता वाइसे-वर्सा भी हो सकता है। लेकिन मैं एक और खुशी की जानकारी दे दूं

कि दो नियुक्तियां जो डी जी ए आई आर और डी जी डी डी की आगे बोर्ड ने करनी थीं उन्होंने बिल्कुल अपनी पूरी प्रक्रिया कर ली है और पीछे मीटिंग करके अपनी संस्तुतियां सरकार के पास भेजी हैं। जिस गति से भरने का, नियुक्त करने का काम शुरू हुआ है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अब एक्जैक्ट तारीख नहीं दे सकती हूं, लेकिन जल्दी ही नहीं, ''बहुत जल्दी'' शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी कि ये नियुक्तियां पूरी हो जाएंगी। जहां तक महिला का सवाल है मुझे जरूर लगता है कि अगली जो दो नियुक्तियां होने वाली हैं अस्थायी सदस्यों की, उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा (व्यवधान) शेड्यूल्ड कास्ट के तो आलरेडी आ गए हैं। अभी जो मिस्टर काशी पांडियन लगे हैं तो शेडयूल्ड कास्ट की भर्ती हो गयी है। लेकिन जो आगे दो अस्थायी सदस्यों की नियुक्तियां होनी हैं, मुझे लगता है कि कमेटी इसका जरूर ध्यान रखेगी कि उसमें एक महिला सदस्य रहे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri P.G. Narayanan. *(Interruptions)*

SHRI KULDIP NAYYAR: Madam, the hon. Minister has not replied to the second part of my question — Whether it is fair on the part of the Government that.....*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have already identified somebody.

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैंने जो जवाब दिया तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है That means it is fair, Obviously, it is fair. How can I say that it is unfair?

SHRI P.G. NARAYANAN: While appointing the Chairman and the Members of the Prasar Bharati Board in the States, Does the Government of India consult the State Governments? If not, what is the parameter that the Government of India adopts for appointing the Members?

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदया, मैंने पहले ही एक जवाब में बताया कि इस चयन में गवर्नमेंट की कोई भूमिका नहीं है। एक्ट के तहत जो कमेटी बनायी गयी है उस कमेटी में राज्य सभा के सभापति, प्रेस काउंसिल के चेयरमैन और एक प्रेजीडेंशियल नामिनी होता है। सरकार की कोई भूमिका नहीं है और सरकार की भूमिका नहीं है तो राज्य सरकारों से सलाह-मश्विरा, परामर्श करना, यह भी सरकार की भूमिका नहीं रह जाती है। इसलिए जो कमेटी है वह अपने लिए क्या तय करती है, किस तरह से चयन करती है, वह राज्य सरकारों से पूछे, वह किसी और से पूछे, वह किसी से न पूछे, वह आपस में तय करे— ये चीजें वही तय करती है। गवर्नमेंट की कोई भूमिका इस प्रसार भारती बोर्ड की नियुक्तियों में नहीं है।

उपसभापति: प्रश्न संख्या 110, अनुपस्थित।

*110. [The questioner (Dr. Dasari Narayana Rao) was absent. For answer vide page 30 *infra*.]